न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2014/00140

राजेन्द्र कुमार आत्मज श्री किशन सहाय जी जाति कायस्थ उम्र 73 वर्ष निवासी विजयपाडा रामपुरा कोटा हाल निवासी सी–5 हाउसिंह बोर्ड कोलोनी बल्लभ बाडी कोटा।

---अपीलान्ट

बनाम

1. गोपी उर्फ बाबी आत्मज श्री लाल उर्फ लालचन्द जाति बैरवा ।
2. शंकर आत्मज श्री लाल उर्फ लालचन्द जाति बैरवा ।
3. शैलानी आत्मज श्री लाल उर्फ लालचन्द जाति बैरवा ।
4. रवि आत्मज श्रीलाल उर्फ लालचन्द जाति बैरवा निवासीगण रामदेव मंदिर के पास, कालपुरा वार्ड नम्बर 54 नयापुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 76 की 0.02 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में एक चाह भी स्थित था जिसमें सीपेज एवं सिवरेज का पानी आने से कुए का पानी दूषित हो जाने के कारण प्रार्थी ने उक्त चाह को भरवा दिया । अप्रार्थीगण दिनांक 29.06.2013 को उक्त भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के उद्देश्य से उक्त भूमि में नीव खुदवाने लगे तो प्रार्थी के मुख्तार मुकेश को जानकारी होते ही मुकेश मौके पर गया और नीव खोदने के लिए मना किया तो वे मारपीट करने पर आमादा हो गये । प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण को अतिक्रमण नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.03.2014 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2014 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 76 की 0.020 हैक्टर में पूर्व में एक चाह था जिसमें सीपेज एवं सिवरेज का दूषित पानी आ जाने के कारण चाह का पानी दूषित हो जाने एवं पीने योग्य नहीं रहने के कारण अपीलान्ट ने उक्त चाह को भरवा दिया एवं वर्तमान में मौके पर खाली भूमि है । उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण ने नाजायज कब्जा करने के उद्देश्य से उक्त भूमि पर नींव खोदना शुरू कर दिया जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है । रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रतिवादीगण का मकान इस भूमि से अलग भूमि पर है तथा उक्त मकान के पट्टे की आड में प्रतिवादीगण इस भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट के खाते एवं कब्जे की ग्राम लाडपुरा तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 76 की रकबा 0.02 हैक्टर आराजी स्थित है । इस आराजी में एक चाह भी था जिसको भरवा दिया गया है और मौके पर खाली जमीन है । रेस्पोडेन्ट नाजायज कब्जे के उद्देश्य से नीव खोद रहे हैं इस कारण उनके खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसको परीक्षण न्यायालय ने खारिज करने में त्रुटि की है । रेस्पोडेन्ट का खसरा नम्बर 76 की भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस पर इनका कभी भी कब्जा नहीं रहा है । पट्टे में यह खसरा नम्बर अंकित नहीं है । पट्टे की आड में वो अपीलान्ट की आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं । वादग्रस्त आराजी का अपीलान्ट खातेदार कृषक है । वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज है । इसलिए कृषि भूमि ही मानी जावेगी और इसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को ही है । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में बनता है फिर भी त्रुटिपूर्ण रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2014 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष में समर्थन में आरआरटी 2014 (2) पेज 1076 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने धारा 188 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया है । वादग्रस्त आराजी मौके पर कृषि

भूमि के रूप में मौजूद नहीं है वरन् उस पर आबादी बस चुकी है । रेस्पोडेन्ट को स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत नगर निगम द्वारा पट्टा दिया गया है और रेस्पोडेन्ट पट्टेशुदा आराजी में रिहायश के लिए मकान बना रहे हैं । अपीलान्ट के द्वारा तहसील से सीमाज्ञान नहीं करवाया गया है । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2014 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट के द्वारा परीक्षण न्यायालय में धारा 188 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया गया था जिसके साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है । अपीलान्ट के द्वारा परीक्षण न्यायालय में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2062–65 पेश की है जिसमें खसरा नम्बर 76 की रकबा 0.02 हैक्टर आराजी गैर मुमकिन चाह के रूप में उनके खाते में दर्ज है । एक पॉवर ऑफ अटॉर्नी की फोटो प्रति भी पेश की गई है ।

10. रेस्पोडेन्ट के द्वारा नगर निगम के द्वारा सुगनी बाई के नाम जारी किये गये पट्टे की फोटो प्रति पेश की गई है जो कि उप पंजीयक के यहॉ पंजीबद्ध है । अपीलान्ट का यह कथन है कि रेस्पोडेन्ट उनके खाते की आराजी पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है और रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि वो पट्टेशुदा भूमि में रिहायश के लिए मकान बना रहे हैं । पत्रावली पर ऐसी कोई तहसील की रिपोर्ट पेश नहीं की गई है जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वो अपीलान्ट के खाते की भूमि पर ही किया जा रहा हो । ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया इस स्टेज पर यह तय नहीं किया जा सकता कि रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के खाते की आराजी पर ही निर्माण कार्य कर रहे हैं । तद्नुसार परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2014 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/08/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा